

प्रेषक,

शंकर अग्रवाल  
प्रमुख सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. **आवास आयुक्त**  
उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास पारिषद  
लखनऊ।
2. **उपाध्यक्ष**  
समस्त विकास प्राधिकरण  
उत्तर प्रदेश।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-1

लखनऊ: दिनांक 7 जनवरी, 2008

**विषय : उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद तथा विकास प्राधिकरणों द्वारा दुर्बल आय वर्ग हेतु निर्मित किये जा रहे भवनों के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि दुर्बल आय वर्ग की इकाइयों पर आने वाले 15 प्रतिशत प्रशासनिक व्यय तथा 15 प्रतिशत ओवर हेड चार्जेज न लिये जायें, साथ ही दुर्बल आय वर्ग के भवनों की लागत कम करने के लिए यदि कोई सुझाव हो ता 15 दिन के अन्दर शासन एवं आवास बन्धु को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय

**शंकर अग्रवाल**

प्रमुख सचिव

**संख्या : 4613(1)/आठ-1-07, तददिनांक।**

प्रतिलिपि सलाहकार, आवास बन्धु (श्री पी.सी. मेहरोत्रा) को इस आशय से प्रेषित कि प्रश्नगत प्रकरण का प्रभावी अनुश्रवण सुनिश्चित करें।

आज्ञा से,

**राम निरंजन**

अनु सचिव